न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– .....

1. नखताराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी– खीरवा तहसील– फलौदी जिला जोधपुर।
2. नैनूराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी खीरवा तहसील फलौदी जिला जोधपुर।
3. सिदाराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी खीरवा तहसील फलौदी जिला जोधपुर।

.....अपीलांट

बनाम

1. टेहलसिंह पुत्र बुगासिंह जाति रामदासिया निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला गंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रफीकशाह विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट एकपक्षीय कार्यवही।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक.....**

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेशकर जैर अपील आदेश को चुनौती दी गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि अपीलांट के सगे भाई केवलराम के नाम से रकबा चक 40 केजेडी में मु0नुं0 68/41 में 23 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज है । रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलांट के भाई केवलराम की मृत्यु अविवाहित ही सन् 15.08.1982 में हो जाने के उपरांत उक्त खातेदारी भूमि की फर्जी वसीयत सन् 30.10.1998 में तैयार कर उसमें केवलराम के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर और फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र दिः 12.03.2000 तैयार कर केवलराम को वार्ड 23 खाजूवाला में होना दर्शाकर उक्त भूमि का इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 को अधीनस्थ न्यायालय राजस्व तहसीलदार खाजूवाला से दर्ज करवा लिया। और रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा उक्त भूमि का बैयनामा करवा दिया तथा खरीददार अवैध जिप्सम खनन कर रहा है।

उक्त वादगत भूमि का अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेट सं0 1 व अन्य के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र.व. खाजूवाला में आपराधिक मुकदमा दिनांक 16.08.2012 को धारा 420, 406, 120'बी', 467, 468 आईपीसी के तहत दर्ज करवाया है । उक्त जैर अपील आदेश एकतरफातोर पर पारित किया है। जिसके आधार पर इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 भी स्वीकृत हो चुका है। इसप्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने तमाम रिकार्ड के विपरीत जाकर जैरअपील आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। जिसके लिए अपील स्वीकार कर उक्त आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पो0 को समन जरिये रजि0ए0डी0 तलब किया लेकिन वाद गुजरने मियाद रेस्पोडेन्ट वकालतन या असालतन हाजिर उपस्थित नहीं आये फलस्वरूप दिः 25.02.2020 को रेस्पो0 1 के खिलाफ एकपक्षीय आदेश किये जाकर अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

न्यायालय ने अधिवक्ता अपीलांट की बहस को सुना एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलांट ने उक्त अपील अपीलाधीन आदेश पर इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की है कि चक 40 केजेडी में मु0नुं0 68/41 में 23 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज है । रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलांट के भाई केवलराम की मृत्यु अविवाहित ही सन् 15.08.1982 में हो जाने के उपरांत उक्त खातेदारी भूमि की फर्जी वसीयत सन् 30.10.1998 में तैयार कर उसमें केवलराम के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर और फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र दिः 12.03.2000 तैयार कर केवलराम को वार्ड 23 खाजूवाला में होना दर्शाकर उक्त भूमि का इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 को अधीनस्थ न्यायालय राजस्व तहसीलदार खाजूवाला से दर्ज करवा लिया। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने उक्त भूमि का बैयनामा कर दिया । वह सरासर गलत व रिकार्ड के विपरीत है। अपीलांट के भाई ने ग्रा.पं. जोड़ तह–फलौदी जिला जोधपुर से वारिसनामा पेश किया जिसमें केवलराम के तीन भाई नेनूराम पुत्र हरजीराम, सिदाराम पुत्र हरजीराम, नखताराम पुत्र हरजीराम का जायज वारीस बताया है। चूंकि प्रकरण पक्षकारों के वसीयतन एवं विरासतन को लेकर है तथा नामान्तरण एवं फिस्किल प्रोसेसिंग है।

जिसे दोनों पक्षकारों को अधीनस्थ न्यायालय को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय देना था। जहां ब्लड रिलेशन से बाहर वसीयत हो तो मृतक के वारीसों को सुनकर समुचित जांचकर निर्णय किया जाना न्यायसंगत है रही बात वसीयत सही या फर्जी उसके लिए न्यायालय हाजा किसी प्रकार से सक्षम नहीं जहां विवाद हो जाता है और सन्देहास्पद वसीयत हो जाती है तो वहां दोनों पक्षकारों को गुणवगुण पर सुन लेना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उक्त इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिः 11.04. 2012 इन्तकाल सं0 25 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः राज्यहित को सर्वोपरि रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2020.05.18 12:47:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: